सं0सं0– निग / सारा(पथ)–15–वि0का0–5–35 / 2018 1396(S)
28/3/2025

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

श्री राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चाईबासा के विरूद्ध अपने पूर्व पदस्थापन काल में – **'जिला अनाबद्ध निधि योजना के अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03 / 16–17 के तहत् प्राप्त की गयी निविदा में जान बूझकर अनियमितता बरतते हुए अपने इच्छानुसार निविदा निष्पादित कर मनोनुकूल संवेदकों को कार्य आंवटित किया गया तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना'** का आरोप है।

उक्त आरोपों के लिए संकल्प संख्या 1535(एस), दिनांक– 07.07.2020 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध आरोपों के प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया जिसके आलोक में दंड अधिरोपण के बिन्दु पर इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मांझी से द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जवाब के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना **संख्या–3868(एस), दिनांक–10.12.2021** के द्वारा इनपर निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया:–

"संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।"

(2) उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री मांझी द्वारा पत्रांक– 354, दि0–20.04.2022 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें अपनी पत्नी की बिमारी का उल्लेख करते हुए अपील अभ्यावेदन समर्पित करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षांत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(3) श्री मांझी द्वारा अपील अभ्यावेदन में निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया:–

(i) एन0आर0ई0पी0, गोड्डा के कार्यालय से अनाबद्ध राशि की 29 योजनाओं की निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–3 / 2016–17 में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दुमका के कार्यालय में BOQ की बिक्री नहीं होने के कारण निविदाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं हुई से संबंधित आरोप के संबंध में कहना है कि अनाबद्ध निधि योजनाओं के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–3 / 2016–17 में न्यूनतम् 5 एवं अधिकतम् 19 BOQ की बिक्री हुई है। इस निविदा में कुल 322 BOQ की बिक्री हुई है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रुप में औसतन 11 BOQ की बिक्री हुई है।

(ii) BOQ की बिक्री दिनांक 20.03.2017 से 22.03.2017 तक लगातार 3 दिनों तक निर्धारित थी। अधीक्षण अभियंता कार्यालय, अंचल, दुमका में BOQ क्रय हेतु एक भी संवेदक से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 163(b)(4) के अनुसार किसी भी निविदा में प्रतिस्पर्धा के लिए **कम से कम दो संवेदकों को** भाग लेना आवश्यक है।

(iii) इस निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की सरकारी धन की हानि नहीं हुई है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ निविदा का निस्तार किया गया है।" श्री मांझी के अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दुमका के पत्रांक–36 / दुमका, दिनांक 17.01.2019 में उल्लेखित किया गया है कि निविदा की निर्धारित अवधि में किसी भी संवेदक से परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और न ही किसी संवेदक के द्वारा कोई शिकायत ही की गयी। जिला के निविदा में विगत वर्षों में किन्ही के द्वारा परिमाण विपत्र की बिक्री हेतु नहीं भेजा गया है। **यही परिपाटी उनके अंचलाधीन (जिलास्तरीय कार्यालय) एन0आर0ई0पी0 की निविदाओं के लिए विगत कई वर्षों से**

6/ ई. सेल

(1)

अपनायी जा रही है। अतएव श्री मांझी के द्वारा वर्त्तमान में चली आ रही परिपाटी के अनुसार ही लागू प्रक्रिया अपनायी गयी है।

(4) इस प्रकार अधीक्षण अभियंता के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि परिमाण विपत्र उनके कार्यालय को बिक्री हेतु प्राप्त नहीं था, परन्तु इससे निविदा प्रतिस्पर्धा प्रभावित नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

(5) उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मांझी के विरूद्ध **वित्तीय हानि** पहुँचाने अथवा सरकारी राशि के **गबन का मामला** परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार श्री मांझी के विरूद्ध अधिरोपित वृहद् दण्ड **"संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"** को उनके कृत्य के अनुपातिक नहीं होने के कारण उनपर अधिरोपित दण्ड को **"असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"** के रूप में परिमार्जित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद, झारखण्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(6) श्री मांझी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त सहमति के आलोक में निम्न निर्णय लिया जाता है:–

(क) श्री मांझी द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित करने में विलम्बित अवधि को क्षांत किया जाता है।

(ख) उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए, उनके विरूद्ध अधिसूचना संख्या–3868(एस), दिनांक–10.12.2021 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14 के तहत **अधिरोपित दण्ड "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"** को **परिमार्जित** करते हुए **"असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

28.03.25

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– निग/सारा(पथ)–15–वि0का0–5–35/2018 1397(s) दिनांक–28/03/2025

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/ नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.03.25

सरकार के विशेष सचिव।